38.2 संविधान के अन्तर्गत संघीय वित्त व्यवस्था (Financial Provisions of the Constitution)

संविधान में साधनों का विभाजन कुशलता एवं उपयुक्तता के सिद्धान्तों के अनुसार तो हुआ है, किन्तु पर्याप्तता के सिद्धान्त को लागू करने में असफल रहा है। इसके लिए निम्न कारण प्रमुख रूप से जिम्मेदार हैं :

(1) गैर-कृषि आयकर, निगम कर, अधिकांश उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क जैसे उत्पादक एवं लोचदार कर केन्द्र को मिल गए हैं।

(2) कुछ महत्वपूर्ण करों, जो राज्यों को दिए गये हैं, से प्राप्त राजस्व केवल लोचहीन ही नहीं है, बल्कि उसमें अन्तर्राज्यीय अन्तर भी काफी मात्रा में पाया जाता है। उदाहरणार्थ, भू-राजस्व को लिया जा सकता है।

(3) राज्यों को अधिक तथा बुद्धिमान कार्य सौंपे गये हैं।

संविधान में ऐसा पूर्वानुमान लगाया गया कि राज्यों को जो कार्य सौंपे गये हैं उनकी तुलना में उन्हें राजस्व कम मिला है। इस असन्तुलन को कम करने के लिए दो तरह के साम्य स्थापित करने वाले तत्वों (balancing factors) का प्रावधान किया गया है; यथा :

(क) कुछ केन्द्रीय करों का हिस्सा; तथा

(ख) सहायता अनुदान।

इन दोनों तत्वों की व्याख्या करने के पूर्व यह देखा जाए कि केन्द्र तथा राज्यों को कौन-कौन कर प्राप्त हुए हैं।

केन्द्रीय कर (अनुसूची सात, सूची एक)

1. कृषि आय के अतिरिक्त अन्य आय पर कर; 2. निगम कर; 3. सीमा शुल्क; 4. शराब तथा नशीले पदार्थों (जैसे गांजा, भांग, अफीम) को छोड़ अन्य वस्तुओं पर उत्पादक शुल्क; 5. कृषि भूमि को छोड़कर अन्य सम्पत्ति पर मृत्यु एवं सम्पदा कर; 6. व्यक्तियों तथा कम्पनियों की गैर-कृषि सम्पत्ति के पूंजी मूल्य पर कर; 7. कुछ वित्तीय दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क; 8. स्टॉक एक्सचेंज तथा भावी मार्केट के लेन-देन पर गैर-स्टाम्प कर; 9. अखबार तथा उनमें छपे विज्ञापनों की खरीद तथा बिक्री पर कर; 10. रेल भाड़ा तथा किराया पर कर; 11. रेल, समुद्र तथा वायु मार्ग से जाने वाले यात्रियों तथा वस्तुओं पर टरमिनल कर; 12. वे कर जो राज्य सूची या समवर्ती सूची में अंकित नहीं हैं।

Scanned with CamScanner

राज्य कर (अनुसूची सात, सूची दो)

1. भूराजस्व; 2. अखबार को छोड़कर अन्य वस्तुओं की खरीद एवं बिक्री पर कर; 3. कृषि आय पर कर; 4. भूमि तथा मकान पर कर; 5. कृषि भूमि पर सम्पदा एवं मृत्यु कर; 6. शराब तथा नशीली वस्तुओं पर कर; 7. स्थानीय क्षेत्र में वस्तुओं के प्रवेश पर कर; 8. खनिज अधिकारों पर कर (संसद के कानून की सीमा के अन्तर्गत); 9. बिजली के उपभोग या बिक्री पर कर; 10. सवारी, मवेशी तथा नाव पर कर; 11. केन्द्रीय सूची में अंकित को छोड़कर अन्य स्टाम्प शुल्क; 12. सड़क या आन्तरिक जलमार्ग से जाने वाली वस्तुओं तथा यात्रियों पर कर; 13. मनोरंजन तथा जुआ सहित विलास पर कर; 14. चुंगी; 15. पेशे तथा व्यापार पर कर; 16. रोजगार तथा प्रति व्यक्ति पर कर; 17. अखबार में छपे विज्ञापन को छोड़कर अन्य विज्ञापनों पर कर।

करों में हिस्सा (Tax Sharing)

इस विधि के अन्तर्गत निम्न व्यवस्थाएं की गयी हैं :

(i) कुछ ऐसे कर हैं जिन्हें केन्द्र द्वारा लगाया जाता है, किन्तु जिन्हें राज्यों द्वारा वसूल किया जाता है तथा प्राप्त आय को रख लिया जाता है। धारा 268 के अन्तर्गत ये हैं स्टाम्प शुल्क तथा दवाओं पर उत्पाद शुल्क।

(ii) धारा 269 के अनुसार कुछ ऐसे कर हैं जिन्हें केन्द्रीय सरकार लगाती है और वसूल भी करती है, किन्तु इनसे प्राप्त सभी राजस्व को राज्यों को देती है। ऐसे कर निम्नलिखित हैं—

गैर-कृषि सम्पत्ति पर उत्तराधिकार कर; गैर-कृषि सम्पत्ति पर सम्पदा (Estate) कर; रेल, सागर तथा वायु मार्ग सें ढोये जाने वाले यात्रियों तथा पदार्थों पर टरमिनल कर; रेल भाड़ा तथा किराया पर कर; स्टॉक एक्सचेंज तथा भावी बाजारों के लेन-देन पर लगाए गए गैर-स्टाम्प कर; अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान अखबारों की खरीद-बिक्री पर लगाए गए कर।

(iii) कुछ कर ऐसे हैं जिन्हें केन्द्रीय सरकार लगाती तथा वसूल करती है, किन्तु इनसे प्राप्त राजस्व का विभाजन केन्द्र तथा राज्यों के मध्य होता है। ऐसे दो कर हैं—धारा 270 के अन्तर्गत व्यक्तिगत आयकर का अनिवार्य विभाजन तथा धारा 272 के अनुसार उत्पाद कर का विभाजन यदि संसद कानून पास कर इस तरह की इच्छा व्यक्त करे। इन करों का विभाजन वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार होता है।

(iv) जूट पर निर्यात शुल्क के बदले में असम, पश्चिम बंगाल, बिहार तथा ओडिशा (उड़ीसा) को अनुदान।

(v) संविधान (80वां संशोधन) अधिनियम, 2000 को संसद ने पारित किया तथा जून 9, 2000 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली। इस संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि सभी केन्द्रीय करों तथा शुल्कों की निवल प्राप्तियों (net proceeds) में राज्यों को हिस्सा मिलेगा। इस संशोधन ने संविधान की धारा 269 को भी पूर्णरूप से बदल दिया है।

सहायता अनुदान (Grants-in-aid)

धारा 275 के अन्तर्गत प्रतिवर्ष राज्यों को वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार सहायता अनुदान दिया जाता है।

वित्त आयोग (Finance Commission)

भारतीय संविधान की एक नयी बात है प्रत्येक पांच वर्षों की समाप्ति पर या पहले राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की स्थापना। इस आयोग के प्रमुख कार्य हैं—(क) केन्द्र तथा राज्यों के मध्य विभाजित किए जाने वाले करों का अंश निर्धारित करना तथा राज्यों के मध्य विभाजन तय करना, (ख) राज्यों को दिए जाने वाले सहायता अनुदान के सिद्धान्त तय करना तथा, (ग) ठोस वित्त के हित में ऐसी कोई सिफारिश जो राष्ट्रपति देने को कहे।

38.3 भारतीय संघीय वित्त का क्रियान्वयन

एक स्वतन्त्र राजकोषीय संघ के रूप में भारत ने अपने अस्तित्व के चार दशकों से भी अधिक समय पूरा कर लिया है। इस अवधि में संघीय वित्तीय सम्बन्धों में काफी दबाव पड़ा है तथा तनाव भी आया है। तनाव के प्रमुख ...

Scanned with CamScanner

(क) करों का आबंटन जिस तरह से हुआ उसके कारण केन्द्र तथा राज्यों के वित्तीय साधनों तथा व्
के मध्य असन्तुलन स्वाभाविक है। केन्द्रीय सरकार के बजट में अतिरेक है जबकि राज्यों को घाटे का सा
करना पड़ता है। इस स्थिति का पूर्वानुमान करके ही संविधान में करों में हिस्सा तथा सहायता अनुदान के
में केन्द्र से राज्यों को वित्तीय साधनों के हस्तान्तरण की व्यवस्था की गयी, किन्तु संविधान के 1950 में
होने के बाद से ही अनेक संशोधनों के जरिए राज्यों के राजस्व प्राप्त करने की शक्ति को कम कर दिया
है। निम्न संशोधनों पर दृष्टिपात किया जाए :

(i) 1956 के छठे संशोधन के द्वारा अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान वस्तुओं की क्र
या बिक्री पर कर लगाने का अधिकार केन्द्र की सूची में जुड़ गया।

(ii) 1957 से कपड़े, तम्बाकू तथा चीनी पर राज्यों द्वारा लगाए गए बिक्री कर के स्थान पर केन्द्र द्व
अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगने लगा।

(iii) निर्यात के लिए की जाने वाली बिक्री तथा रेडियो एवं टेलीविजन द्वारा प्रसारित विज्ञापनों
राज्यों द्वारा कर लगाने के अधिकार पर प्रतिबन्ध लगा दिए गए।

(iv) 1959 में कम्पनी के लाभ पर लगाए जाने वाले आयकर को व्यक्तिगत आयकर से अलग क
दिया गया और तबसे लाभ पर आयकर (निगम कर) का विभाजन राज्यों के साथ समान
गया।

(v) आय कर पर अधिभार (surcharge) लगाने का प्रावधान अस्थायी है, किन्तु यह प्रायः स्थायी
गया है और इसका विभाजन राज्यों के साथ नहीं होता है।

(ख) साधनों का वास्तविक हस्तान्तरण इस ढंग से हुआ है कि केन्द्र पर राज्यों की न केवल निर्भर
बढ़ी है बल्कि गलत ढंग से। साधनों का अधिकाधिक हस्तान्तरण वित्त आयोगों की सिफारिशों के अनुसार
बल्कि इनसे बाहर गैर-संवैधानिक तरीकों से जैसे योजना आयोग द्वारा तथा भारत सरकार के मन्त्रालयों द्व
विशेषकर वित्त मन्त्रालय द्वारा।

Scanned with CamScanner